



FIROZABAD POLICE

★ सुरक्षा आपकी ★
★ संकल्प हमारा ★



प्रेस नोट थाना शिकोहाबाद दिनांक 26-06-2024 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त ब्रिजेश यादव उर्फ डिम्पू उर्फ कमलकान्त की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 50 लाख 42 हजार रुपये की चल सम्पत्ती को मौके पर जाकर कुर्क करते हुए की गयी जब्तीकरण की कार्यवाही ।

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....
- गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त ब्रिजेश यादव उर्फ डिम्पू उर्फ कमलकान्त पर जनपद के विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत....
- पूर्व में भी थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त ब्रिजेश यादव उर्फ डिम्पू उर्फ कमलकान्त की धारा 14(1) एक्ट के तहत 45 लाख 93 हजार 040 रुपये की अचल सम्पत्ति को किया जा चुका है कुर्क.....

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त ब्रिजेश उर्फ डिम्पू उर्फ कमलकान्त पुत्र जगदीश निवासी ग्राम अजायपुर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद हाल निवासी लक्ष्मीनगर बोझिया कस्बा व थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद की 50 लाख 42 हजार रुपये की चल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) (जब्तीकरण) गिरोहबन्द एव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण)1986 के तहत कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

अभियुक्त ब्रिजेश यादव उर्फ डिम्पू उर्फ कमलकान्त की कुर्क की गयी चल सम्पत्ति का विवरण:-

क्र0सं0	वाहन संख्या	वाहन का वर्तमान बाजारु मुल्यांकन
1	ट्रक वाहन संख्या UP 83 BT 9255	20 लाख 06 हजार रुपये ।
2	ट्रक वाहन संख्या UP 83 BT 3030	15 लाख 06 हजार रुपये ।
3	ट्रक वाहन संख्या UP 83 BT 3000	15 लाख 30 हजार रुपये ।
कुल योग		50 लाख 42 हजार रुपये ।

अभियुक्त ब्रिजेश यादव उर्फ डिम्पू उर्फ कमलकान्त का आपराधिक इतिहास: -

1. मु0अ0सं0 165/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 602/22 धारा 384.323.504 भादवि थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
3. मु0अ0सं0 49/18 धारा 147, 148, 452, 323, 324, 504, 506 भादवि थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद ।
4. मु0अ0सं0 171/15 धारा 147.323.504 भादवि थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद ।
5. मु0अ0सं0 85/16 धारा 147, 148, 323, 342, 504, 506 थाना अजीतमल जनपद औरैया ।
6. मु0अ0सं0 799/15 धारा 323, 353, 504, 506 भादवि व 194 एमवी एक्ट थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद ।